रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2019/आषाढ़ 19, 1941
No. 401] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2019/ ASHADHA 19, 1941

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2019

सा.का.नि. 492(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बायोटेक्नोलॉजी विभाग के समूह 'ग' और समूह 'घ' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय) पदों के भर्ती नियमों, 2003 की उन बातों के अतिरिक्त जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए बायोटेक्नोलॉजी विभाग के समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायोटेक्नोलॉजी विभाग समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय) पद पर भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**-पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वैध्य होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
3. **प्रारंभिक संरचना**- उक्त अनुसूची में सहायक प्रबंधक-सह-स्टोर कीपर, हलवाई-सह-कुक, कैंटीन परिचर तथा क्लर्क के पदों की संख्या, जिन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया था, को इन नियमों के तहत नियुक्त माना जाएगा और नियमित आधार पर की गई उनकी सेवा को उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए गणना की जाएगी।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता आदि -** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **अनर्हता -** कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

ऊपर लिखित पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

बशर्ते केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उक्त व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी।

6. **अल्पावधि रिक्तियों को भरना -** प्रतिनियुक्ति या लंबी छुट्टी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए लंबित होने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को नियमित आधार पर भर्ती अनुसूची के अनुसार सीधी भर्ती के लिए निर्धारित केंद्र सरकार के योग्यता रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है।

7. **शिथिल करने की शक्ति -** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनको केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अवेतनक्षित है।

अनुसूची-I

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन या गैर-चयन	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. सहायक प्रबंधक-सह-स्टोर कीपर	01*(एक) (2019) * कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित/अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-04 (25,500-81,100) नोट: वे कैंटीन टाइप 'क', 'ख', 'ग', 'घ', '2- क' तथा '3- क' में ड्यूटी के लिए 375 रूपये प्रति माह का विशेष भत्ता भी प्राप्त करेंगे और कैंटिन टाइप 4-'क' तथा उच्च श्रेणी की कैंटिन में कार्य करने के लिए 750 रूपये प्रति माह विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे।	गैर – चयनित	18-25 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष) **नोट:** रोजगार कार्यालय से उम्मीदवारों के नाम प्रस्तुत करने की तारीख आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि मानी जाएगी। यदि पद के लिए रोजगार समाचार या समाचार पत्र में

					विज्ञापन दिया जाता है, तो आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि आवेदन मांगे जाने की निर्धारित अंतिम तिथि मानी जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए अवेतनक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गई आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति। सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता**
7	**8**	**9**	**10**
क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक के साथ बुक कीपिंग या स्टोर कीपिंग में एक वर्ष का डिप्लोमा। **ख) अनुभव-** सरकारी विभाग/उपक्रम में भंडार या लेखा के संचालन में तीन वर्ष का अनुभव। **नोट 1:** उम्मीदवारों के अन्यथा योग्य होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में छूट दी जा सकती है। छूट के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। **नोट 2:** अ.जा./आ.ज.जा. के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। यदि चयन के किसी भी चरण में सक्षम प्राधिकारी इस अभिमत पर पहुंचते हैं कि इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अवेतनक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो सक्षम अधिकारी इसे लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए अपने विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता में छूट दे सकता है।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पदोन्नति लागू न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा। पदोन्नति माध्यम से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत लागू न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के लागू न किए जाने की स्थिति में उक्त ग्रेड तथा फीडर ग्रेड में निर्धारित पदों की संख्या के आधार पर नियत किया जाएगा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना अवेतनक्षित है**
11	**12**	**13**
पदोन्नति: (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रूपये) में लिपिक के रूप में कम से कम आठ (8) वर्ष की नियमित सेवा (ii) वेतन मैट्रिक्स स्तर-3 (21700-69100 रुपये) में हलवाई-सह-कुक के रूप में 5 वर्ष नियमित सेवा के साथ-साथ स्टोर/लेखा के संचालन में 2 वर्ष का अनुभव रखता हो और सीधी भर्ती आधार पर लिपिक के पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता अर्थात वाणिज्य सहित 12वीं कक्षा पास हो। **नोट 1:** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2016, जिस तारीख से 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर संशोधित वेतनमान लागू किया गया है, को विभाग के अनुशंसा के आधार पर बाद के वेतन स्तर पर की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। **नोट 2:** "कनिष्ठ कार्मिकों के मामले में जिन्होंने पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठ कार्मिकों सहित उनपर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी दो वर्ष की ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अवेतनक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से कम नहीं हैं, जो भी कम है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ कार्मिकों के साथ-साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है" **प्रतिनियुक्ति:** केंद्र सरकार के अधीन वे अधिकारी: (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद पर हो, या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2(19900-63200 रूपये) में कम से कम आठ वर्ष नियमित रूप से सेवा की हो। (iii) कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए	**समूह 'ग' पद पर विचार किए जाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति** 1. निदेशक अथवा उप सचिव(प्रशासन)- **अध्यक्ष**। 2. अवर सचिव (प्रशासन प्रभारी) – **सदस्य**। 3. वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक-'सी 'के पद से नीचे के स्तर का न हो - **सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखता हो; तथा (ख) किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडार या लेखा को संभालने का तीन वर्ष का अनुभव। **नोट 1:** केंद्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष है। **नोट 2:** फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के क्रम में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी पदोन्नति के आधार पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। **नोट 3:** प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2016 या वह दिनांक जिससे कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान में संशोधन किया गया है, की गई सेवा को पिछले वेतन स्तर/ग्रेड वेतन सेवा के रूप में विचार किया जाएगा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संबंधित वेतन स्तर/ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की जाने वाली सेवा को छोड़कर जहां एक ग्रेड में एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतन के साथ एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतन का कोई विलय हुआ है और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिनके लिए वेतन स्तर/ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। **(प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता और अनुभव होना चाहिए। जहां सीधी भर्ती, भर्ती का तरीका नहीं है और पद केवल पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाने है तो प्रतिनियुक्ति के ऐसे मामलो में शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव का भर्ती नियमों में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए)**		

अनुसूची-II

1	2	3	4	5	6
2. हलवाई-सह-कुक	01 * (2019) * कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' - अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (21,700-69,100) में स्तर-3	गैर-चयनित	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष) **नोट:** रोजगार कार्यालय से उम्मीदवारों के नाम प्रस्तुत करने की तारीख आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि मानी जाएगी। यदि पद के लिए रोजगार समाचार या समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाता है, तो आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि आवेदन मांगे जाने की निर्धारित अंतिम तिथि मानी जाएगी।

7	8	9	10
क) कैटरिंग में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सहित 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। ख) अनुभव: किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में कार्य करने के दो वर्ष के अनुभव को वरीयता दी जाएगी। ग) उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक ट्रेड कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा। **नोट:** अनुभव संबंधी अर्हताओं में कारणों को लेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में सक्षम प्राधिकारी इस अभिमत पर पहुंचते हैं कि अजा./अजजा. के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अवेतनक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो सक्षम अधिकारी इसे लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए अपने विवेकानुसार अनुभव संबंधी अहर्ता में छूट दे सकता है।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पदोन्नति न लागू होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के लागू न होने पर सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत लागू न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति आधार पर और दोनों के लागू न होने की स्थिति में जिसके बारे में उक्त ग्रेड तथा फीडर ग्रेड में मौजूदा पदों की संख्या के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

11	12	13
पदोन्नति: सहायक हलवाई-सह-कुक वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रूपये) स्तर-02 में कम से कम तीन (03) वर्ष की नियमित सेवा **नोट 1:** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के उद्देश्य	**समूह 'ग' में पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति:** 1. निदेशक या उप सचिव	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

से किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2016 या जिस तारीख से 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर संशोधित वेतनमान लागू किया गया है, को विभाग की अनुशंसा के आधार पर बाद के वेतन स्तर पर की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। **नोट 2:** “कनिष्ठ कार्मिकों के मामले में जिन्होंने पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठ कार्मिकों सहित उनपर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी दो वर्ष की ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अवेतनक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से कम नहीं हैं, जो भी कम हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ कार्मिकों के साथ-साथ जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हैं” **प्रतिनियुक्ति** केंद्र सरकार के अधिकारी- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद पर हो, या (ii) सहायक हलवाई-सह-कुक वेतन मैट्रिक्स (19900- 63200 रूपये) स्तर-02 में कम से कम तीन (03) वर्ष की नियमित सेवा। **तथा** (ख) शैक्षिक अहर्ता और अनुभव: (i) कैटरिंग में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा सहित 10वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) अनुभव: वरीयता सरकारी विभाग/उपक्रम में दो वर्ष का अनुभव। **नोट 1:** केंद्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष है। **नोट 2:** फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के क्रम में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी पदोन्नति आधार पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। **नोट 3:** प्रतिनियुक्ति आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 या वह दिनांक जिससे कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान में संशोधन किया गया है, की गई सेवा को पिछले वेतन स्तर/ग्रेड वेतन सेवा के रूप में विचार किया जाएगा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संबंधित वेतन स्तर/ग्रेड वेतन या	(प्रशासन)- **अध्यक्ष।** 2. अवर सचिव (प्रशासनिक प्रभारी)- **सदस्य** 3. वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक-'सी 'के पद से नीचे के स्तर का न हो - **सदस्य**।	

वेतनमान में प्रदान की जाने वाली सेवा को छोड़कर जहां एक ग्रेड में एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतन के साथ एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतन का कोई विलय हुआ है और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिनके लिए वेतन स्तर/ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। (प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता और अनुभव होना चाहिए। जहां सीधी भर्ती भर्ती का तरीका नहीं है और पद केवल पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है, तो प्रतिनियुक्ति के ऐसे मामलों में शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव का भर्ती नियमों में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए)		

अनुसूची-III

1	2	3	4	5	6
3. कैंटीन परिचर # **# पूर्व में चाय/कॉफी बनाने वाले, बैयरा और वॉश बॉय के रूप में पदनामित।**	04 * (2019) * कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900)में स्तर 01	लागू नहीं	18-25 वर्ष, (सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार) **नोट:** आयु सीमा निर्धारण करने की अंतिम तारीख, वह मानी जाएगी जबतक कि रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। यदि पद के लिए रोजगार समाचार अथवा समाचार पत्र में ज्ञापन जारी किया जाता है, तो आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख मानी जाएगी।

7	8	9	10
मैट्रिक या समकक्ष	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती

11	12	13
लागू नहीं	**समूह 'ग' पद पर पदोन्नति से संबंधित विचार किए जाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति : -** 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) – –अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासनिक प्रभारी) - –सदस्य 3. वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक-'सी 'के पद से नीचे के स्तर का न हो –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

अनुसूची-IV

1	2	3	4	5	6
4. क्लर्क	01 * (2019) * कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा (समूह 'ग'), अराजपत्रित , अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200) में स्तर 02	लागू नहीं	18-25 वर्ष, (सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार। **नोट:** आयु सीमा निर्धारण करने की अंतिम तारीख, वह मानी जाएगी जबतक कि रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। यदि पद के लिए रोजगार समाचार/समाचार पत्र में विज्ञापन जारी किया जाता है, तो आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख मानी जाएगी।

7	8	9	10
(क) वाणिज्य सहित 12 वीं कक्षा पास या समकक्ष। (ख) अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर प्रति घंटे 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटे/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के अनुरूप हैं) ।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पदोन्नति न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा। पदोन्नति माध्यम के तहत भर्ती का प्रतिशत, असफल होने की स्थिति में सीधी भर्ती के बारे में निर्णय लिया जाएगा जो ग्रेड में और फीडर ग्रेड में पदों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा।

नोट 1: उम्मीदवारों के अन्यथा योग्य होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अहर्ता में छूट दी जा सकती हैं। छूट के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। **नोट 2:** अ.जा./आ.ज.जा. के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। यदि चयन के किसी भी चरण में सक्षम प्राधिकारी इस अभिमत पर पहुंचते हैं कि इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अवेतनक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो सक्षम अधिकारी इसे लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए अपने विवेकानुसार अनुभव संबंधी अहर्ता में छूट दे सकता हैं।			

11	12	13
पदोन्नति: कैंटीन परिचर के पद से लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900 रूपये) में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, संवाद कौशल और लेखा परीक्षा कार्यो संबंधी दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछनीय है। **नोट 1:** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2016 या जिस तारीख से 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर संशोधित वेतनमान लागू किया गया है, को विभाग की अनुशंसा के आधार पर बाद के वेतन स्तर पर की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। **नोट 2:** “कनिष्ठ कार्मिकों के मामले में जिन्होंने पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठ कार्मिकों सहित उनपर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी दो वर्ष की ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अवेतनक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से कम नहीं हैं, जो भी कम हो तथा उन्होनें अपने कनिष्ठ कार्मिकों के साथ-साथ जिन्होनें ऐसी	**समूह 'ग' पदों पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति:** 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) -अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासनिक प्रभारी) -सदस्य 3. वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक-'सी 'के पद से नीचे के स्तर का न हो - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

अर्हक/पात्रता सेवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हैं"		

[फा. सं. ए-12011/03/2018-स्था.]

भारत भूषण, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2019

G.S.R. 492(E) .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Biotechnology Group 'C' and Group 'D' (Non-Gazetted, Non-Ministerial) posts Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial) posts in the Department of Biotechnology, namely:-

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Non-Statutory Departmental Canteen in Department of Biotechnology Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial) posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, their classification and Level in pay matrix.–**The number of posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Initial Constitution.–**The incumbents of the posts of Assistant Manager-cum-Store Keeper, Halwai-cum-Cook, Canteen Attendant and Clerk in the said schedule who were declared as Government Servants, shall be deemed to have been appointed under these rules and services rendered by them on regular basis shall be taken into account for the purpose of promotion to the higher post.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.–**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in the aforesaid schedule.

5. **Disqualifications**– No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Filling up of Short Term vacancies .–**Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits as per the scheduled annexed.

7. **Power to Relax .–** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving .–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE-I

Name of post	No. of posts	Classification	Pay Level in Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Assistant Manager-cum-store Keeper	01*(one) (2019) * subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted Non Ministerial	Level -04 in pay matrix (25,500-81,100) Note: He/ She will also draw Special Allowance of Rs.375/- p.m for attending to duties in Canteens Type 'A', 'B', 'C','D', '2-A' and '3-A' and Rs.750/- p.m. in Canteens Type '4-A' and above	Non – Selection	18-25 years (relaxable for Govt. Servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which application have been called for.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods
7	8	9	10
a) B.Com from a recognized University **or** Graduate in any discipline from a recognized university with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping. **b)Experience-** Three years in a Government Department/or Undertaking in handling Stores or Accounts. **Note 1:** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding	No	Two years for direct recruits	Promotion failing which by deputation and failing both, by direct recruitment. Percentage of recruitment under the mode of promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment shall be decided based on the number of posts in the grade feeder grades.

experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption , grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	**12**	**13**
Promotion: (i) Clerks with atleast eight (8) years of regular service in Level-2 in the pay matrix (Rs.19900 -63200) (ii) Halwai-cum- Cook with five (5) years regular service in Level-3 in the pay matrix (Rs. 21700- 69100) with two years experience in handling Stores/Accounts and possessing educational qualification as prescribed for direct recruited Clerk i.e. 12th Class Pass with Commerce. **Note 1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay Level based on the recommendations of the Commission. **Note2:** “Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service”. **Deputation:** Officers under the Central Government: (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) with at least eight years regular service in Level - 2 of the pay matrix (Rs.19900 -63200). (iii) Possessing educational qualification as prescribed for direct recruitment under Column (7) and	**Group ‘C’ Departmental Promotion Committee for considering the promotion consisting of:-** **1.** Director or Deputy Secretary (Administration) – Chairman 2. Under Secretary (in charge of Administration) – Member **3.** Scientist not below the rank of Scientist –‘C’ – Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(b) Three years experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts. **Note1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note2:** The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. **Note3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay level or grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been any merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that pay level/grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. (The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Where direct recruitment is not a method of recruitment and the post is to be filled by promotion/deputation only, the educational qualifications and experience should be specifically incorporated for deputationists in the recruitment rules.)		

SCHEDULE-II

1	2	3	4	5	6
2. Halwai –cum-Cook	01*(2019) * subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non - Ministerial	Level-3 in pay matrix (21,700-69,100)	Non-Selection	18-25 years, (relaxation for Govt. Servants upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Govt. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case, post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date

					for determining the age limit shall be the last date upto which applications have been called for.

7	8	9	10
a) 10th Class Pass with Certificate or Diploma in catering b) Experience: two years in a Govt. Department or Undertaking will be preferred. c) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidates. **Note:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years for direct recruits	Promotion failing which by Deputation and failing both, by Direct Recruitment. Percentage of recruitment under the mode of promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment shall be decided based on the number of posts in the grade and feeder grades.

11	12	13
Promotion: Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three (03) years regular service in Level-02 in pay matrix (Rs.19900-63200) **Note 1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2016 or the date from which revised pay structure based on the 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the commission. **Note 2:** "Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service". **Deputation** Officers of the Central Government- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with at least three(3) years of regular service in Level -02 in the pay matrix (Rs. 19900 – 63200)	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of:** 1.Director or Deputy Secretary (Administration) – Chairman. 2.Under Secretary (in charge of Administration) – Member 3.Scientist not below the rank of Scientist 'C' – Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

and (b) Possessing the qualifications & experience: (i) 10th Class with a certificate/diploma in catering (ii) Experience: Two years in a Government Deptt. or Undertaking preferred. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2:** The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, or the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay level or grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common pay level or grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common pay level or grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that pay level/grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation (The deputatonists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits. Where direct recruitment is not a method of recruitment and the post is to be filled by promotion/deputation only, the educational qualifications and expertise should be specifically incorporated for deputiationists in the recruitment rules.)		

SCHEDULE-III

1	2	3	4	5	6
3.Canteen Attendant #	04* (2019) * subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-01 in the pay matrix (18,000-56,900)	Not Applicable	18-25 years, (relaxation of age limit upto 40 years for Government Servants) in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note:** The crucial date for determining the age limit

#Earlier designated as Tea/ Coffee maker, Bearer and Wash Boy.					shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case, post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which applications have been called for.

7	8	9	10
Matriculation or equivalent	Not Applicable	Two years for direct recruitment	Direct Recruitment

11	12	13
Not Applicable	**Group 'C' Department Promotion Committee for considering promotion consisting of:-** 1. Director or Deputy Secretary (Administration) — **Chairman** 2. Under Secretary (in charge of Administration) – **Member** 3. Scientist not below the rank of Scientist 'C' – **Member**	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

SCHEDULE-IV

1	2	3	4	5	6
4. Clerk	01* (2019) * subject to variation dependent on workload	General Central Service (Group 'C') Non – Gazetted, Non-Ministerial	Level -2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Non-Selection	18-25 years (relaxation of age limit upto 40 years for Government Servants) in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case, post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which applications have been called for.

7	8	9	10
(a) 12th Class Pass or equivalent with Commerce. (b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depression per Hour/9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 Key depression for each word). **Note 1:** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years for direct recruits	Promotion failing which by Direct Recruitment. Percentage of Recruitment under mode of promotion failing which by direct recruitment shall be decided based on number of post in the grade and feeder grade.

11	12	13
Promotion: Canteen Attendant with atleast three years regular service in pay level-1 in pay matrix (Rs.18,000-56,900) A two week training on Organizational behavior, Communication Skills and Accounting Practices shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from Institute of Secretariat Training & Management or any other institute recognized by Govt. of India or State Govt. **Note1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2016 or date from which revised pay structure based on 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note2:** “Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility	**Group ‘C’ Department Promotion Committee for considering of promotion consisting of :** 1. Director or Deputy Secretary (Administration) – Chairman 2. Under Secretary (in charge of Administration) – Member 3. Scientist not below the rank of Scientist ‘C’ – Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary

service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service”.		

[F. No. A–12011/03/2018-Estt.]

BHARAT BHUSHAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.12 20:21:19 +05'30'